न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—141/2019/225 (2019/00141)

1. श्रीमती कमला बाई उर्फ कमलेश पुत्री रतना पत्नि रतनलाल, जाति भांबी, निवासी ग्राम बुबानिया, तह0 नसीराबाद, जिला अजमेर हाल नि0 पुलिस लाईन के पीछे, शिवनगर कॉलोनी, भीलवाड़ा ।

अपीलांट

बनाम

1. श्योराज पुत्र देवा,
2. श्रीमती मन्जू पत्नि श्योराज,
3. मेघराज पुत्र श्योराज,
4. सोहन पुत्र नारायण,
5. सुवा पुत्र नारायण,
6. छोटू पुत्र नारायण,
   समस्त निवासी ग्राम बुबानिया, तह0 नसीराबाद, जिला अजमेर ।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, नसीराबाद, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध आदेश विद्वान उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद दिनांक 25.1.2019 अंतर्गत प्रकरण संख्या 56/2017.

उपस्थितः—

1. श्री अनुज माथुर, वकील अपीलांट ।
2. श्री सीताराम रावत, वकील रेस्पो0 संख्या 1 से 6 .
3. श्री धर्मवीर चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 7.

निर्णय

दिनांकः— 14.2.2020

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद के आदेश दिनांक 25.1.2019 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट/वादिया द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष एक वादपत्र अंतर्गत धारा 88 व 188 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम बुबानिया की आराजियात वर्तमान आधार जमाबंदी हाल खसरा संख्या 12, 173, 269, 23, 24, 68 रकबा क्रमशः 0.23, 037, 0.18, 0.23, 0.09, 0.10, 0.13 है0 की आराजी वादिया के पिता के नाम है । वादिया के पिता का स्वर्गवास हो चुका है जिसकी एकमात्र वारिस वादिया ही होकर काबिज काश्त चली आ रही है किन्तु प्रतिवादीगण बिना हक व अधिकार उक्त आराजी पर दखलदांजी कर रहे है एवं एक फर्जी वसीयत के आधार पर वादिया को उपरोक्त आराजियात से बेदखल करने पर आमादा है। वादिया के पिता ने अपने जीवनकाल में कोई वसीयत किसी के पक्ष में

निष्पादित नहीं की है । अतः प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे । प्रतिवादीगण ने अधी0न्याया0 के समक्ष उपस्थित होकर जवाबदावा पेश कर वाद निरस्त करने का निवेदन किया । अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 1.6.2016 को वादिया का वाद खारिज कर दिया । तत्पश्चात् वादिया ने अधी0न्याया0 के समक्ष अधी0न्याया0 के निर्णय व डिक्री के रिव्यू हेतु प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 114 जा0दी0 पेश किया जिसे अधी0न्याया0 ने अपने आदेश दिनांक 25.1. 2019 द्वारा अपीलांट का प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया । अधी0न्याया0 के इस आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 के उपस्थित होने तथा अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि अधी0न्याया0 का आदेश न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 ने दिनांक 1.6.2016 को निर्णय पारित करने से पूर्व को सूचना नहीं दी ना ही उसे कोई सुनवाई का मौका दिया और आनन–फानन में प्रतिवादीगण को फायदा पहुंचाने क उद्देश्य से कैम्प कोर्ट में दावे को बिना किसी आधार के खारिज कर दिया । अधी0न्याया0 ने वादिया द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों व साक्ष्य का अवलोकन नहीं किया न ही साक्ष्य का अवसर प्रदान किया गया है । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस को आगे बढ़ाते हुए कथन किया कि अधी0न्याया0 ने इस बात पर गौर नहीं किया कि जिस वसीयत के आधार पर प्रतिवादीगण का हक माना गया है उस वसीयत को निरस्त करने हेतु वाद अपर सत्र न्यायालय, नसीराबाद जिला अजमेर के समक्ष लंबित है जिसमें मान0 न्यायालय ने दोनों पक्षों के विरूद्ध यथास्थिति के आदेश पारित कर रखे है जिसे नहीं मानकर अधी0न्याया0 ने त्रुटि कारित की है । अधी0न्याया0 ने तहसीलदार द्वारा वसीयत को सही मानने को उचित माना है जबकि तहसील व पटवारी हल्का को वसीयत सही मानने या गलत मानने का विधिक अधिकार नहीं है जबकि उक्त वसीयत को सक्षम न्यायालय में चुनौती दी गई है । अधी0न्याया0 को प्रथम दृष्टया यह माना चाहिये कि वादिया अपने पिता की इकलोती संतान है, और एक इकलौती संतान के होते हुए कोई भी पिता किसी अन्य व्यक्ति को वसीयत क्यों करेगा । अधी0न्याया0 ने इस बात पर भी गौर नहीं किया कि प्रतिवादी द्वारा स्वंय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर के समक्ष अपील प्रस्तुत कर रखी है जो भी लंबित है फिर भी यह विवादित आदेश पारित कर दिया जो अपने आप में निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 ने अपने रिव्यू आदेश में धारा 11 जा0दी0 का हवाला देते हुए जो रिव्यू खारिज किया है वह अविधिक है क्योंकि तहसीलदार ने जो भी आदेश पारित किया उसी के पश्चात् यह दावा प्रस्तुत किया है और तहसीलदार द्वारा पारित आदेश व दिनांक 1.6.2016 का आदेश का वादकारण व अनुतोष अलग–अलग है जो धारा 11 जा0दी0 की परिधि में नहीं आता है । बहस में आगे कथन किया कि अधी0न्याया0 ने रिव्यू आदेश में रिव्यू प्रार्थना पत्र को मियाद बाहर मानकर भूल की है क्योंकि विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि मियाद हमेशा जानकारी से ही मानी जाती है । अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री दिनांक 1.6.2016 एकतरफा में कैम्प कौर्ट में पारित किया गया है जिसकी जानकारी वादिया को पूर्व में नहीं रहकर दिनांक 2.3.2017 को प्राप्त हुई थी और उसके 30 दिवस के अंतर्गत यह रिव्यू प्रार्थना पत्र पेश किया गया है जो मियाद अंदर था । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का

आदेश दिनांक 1.6.2016 निरस्त किया जावे तथा वादिया का वाद डिक्री किया जावे ।

5. विद्वान वकील अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थिया एक वृद्ध बीमार महिला है जो अजमेर से बाहर भीलवाड़ा में निवास करती है तथा बीमारी के कारण अपने अधिवक्ता से संपर्क नहीं कर पाई थी इसी कारण अपीलाधीन आदेश की प्रतिलिपि दिनांक 2.3.2019 को प्राप्त करने के बाद अपील प्रस्तुत नहीं कर पाई थी । अपील केवल मात्र 10 दिवस के विलंब से पेश की गई है जिसे न्यायहित में क्षम्य किया जावे । अतः अपील में हुआ विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।

6. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 से 6 ने बहस में कथन किया कि विद्वान अधी0न्याया0 का आदेश विधिसम्मत् है । रिव्यू का स्कोप बहुत ही सीमति होकर रिव्यू के प्रावधान विधि संबंधी त्रुटि एवं तकनीकी त्रुटि पर लागू होते है । हस्तगत प्रकरण में अपीलांट ने ऐसा कोई साक्ष्य पेश नहीं किया है जिससे यह साबित हो कि अधी0न्याया0 के निर्णय व डिक्री दिनांक 1.6.2016 में ऐसी कोई त्रुटि रही हो । बहस में यह भी कथन किया कि रिव्यू की मियाद 30 दिवस है किन्तु अपीलांट द्वारा मियाद बाहर रिव्यू प्रार्थना पत्र पेश किया गया है । विद्वान अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलब्ध संपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्यों का विस्तृत विवेचन विश्लेषण उपरांत अपीलांट का प्रार्थना पत्र निरस्त किया है जो विधिसम्मत् निर्णय है । अतः अपील अपीलांट निरस्त की जावे ।

7. हमनें उभयपक्ष बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है । अपीलांट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित एवं सद्भाविक प्रतीत होते है । हम न्यायहित में अपीलांट को सुना जाना न्यायोचित समझते है । अतः अपील में हुआ विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।

8. पत्रावली का अवलोकन किया गया । अपीलांट द्वारा अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 1.6.2016 जिसके तहत वादिया/अपीलांट का वाद खारिज किया गया था के विरूद्ध एवं निर्णय व डिक्री दिनांक 1. 6.2016 के विरूद्ध रिव्यू प्रार्थना पत्र पर दिये गये आदेश दिनांक 25.1. 2019 के विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की गई है । दिनांक 1.6.2016 को पारित निर्णय व डिक्री एवं आदेश दिनांक 25.1.2019 को पारित आदेश दो अलग–अलग आदेश है जिसकी विधिनुसार अलग–अलग चाराजोही एवं अपील होती है । दो आदेशों के लिये विधिनुसार एक अपील संधारण योग्य नहीं होने से अपीलांट की अपील इसी स्तर पर बिना गुणावगुण पर टिप्पणी किये खारिज योग्य पायी जाती है ।

9. अतः अपील अपीलांट संधारण योग्य नही होने से खारिज की जाती है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

10. निर्णय आज दिनांक 14.2.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर